आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सं0–149/2022

छोटेलाल साह

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

05.04.2024

आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–2842/2020 में दिनांक 25.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्न हैः–

"…..learned Advocate for the petitioner, after some arguments, seeks permission to withdraw this application in order to challenge the order of the Licensing Authority as well as the Appellate Authority before the Revisional Authority.

The petition is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty.

In case such a revision petition is filed within a period of 30 days, the matter shall be taken up by the concerned authority and after giving reasonable opportunity to the petitioner to present his case, a final order shall be passed within the next 60 days, giving reasons in support of the decision."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय वस्तु यह है कि आवेदक श्री छोटेलाल साह, पिता–असर्फी साह, ग्राम पंचायत राज–सिरसा मानपुर, प्रखंड–बैकुण्ठपुर, अनुमंडल–गोपालगंज सदर, जिला–गोपालगंज के एक जन वितरण प्रणाली दुकान के अनुज्ञप्तिधारक (अनुज्ञप्ति सं0–41/16) रहे है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिघवलिया एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बरौली द्वारा दिनांक 24.01.2019 को आवेदक के पी0डी0एस0 केन्द्र का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के क्रम में पाए गए अनियमितताओं यथा (i) विक्रेता द्वारा सभी लाभुको को कैशमेमो नहीं दिया जाता है। (ii) विक्रेता द्वारा लाभुकों के राशनकार्ड पर जनवरी, 2019 के खाद्यान्न की प्रविष्टि कर दिया गया था जबकि विक्रेता से संबंधित खाद्यान्न के आवंटन का उठाव निरीक्षण की तिथि को हुआ है। (iii) उपभोक्ताओं को एक माह का राशन देकर उनके राशन कार्ड पर कई माह की प्रविष्टि कर दी जाती है। (iv) उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न एवं निर्धारित दर से अधिक राशि लिया जाता है। (v) उपभोक्ता रंजू देवी, सुमालती देवी, कुमारी देवी, पिंकी देवी, रामावती देवी, मीना देवी, राजकुमारी देवी, चांदा देवी, कौशल्या देवी एवं कुन्ती देवी द्वारा लिखित बयान दिया गया कि विक्रेता द्वारा प्रत्येक माह अनाज/किरासन तेल नहीं दिया जाता है एवं एक माह का अनाज एवं किरासन तेल देकर विक्रेता द्वारा सभी माह की प्रविष्टि राशन कार्ड पर अंकित कर दिया जाता है। माह जनवरी, 19 तक की प्रविष्टि राशन कार्ड पर अंकित किया गया है, जबकि अनाज नहीं मिला है, से अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी,

गोपालगंज–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उक्त अनियमितताओं के संबंध में आवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके क्रम में आवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को इस आधार पर असंतोषजनक पाया गया कि, विक्रेता द्वारा सभी लाभुकों को कैशमेमो नहीं दिया जाना, माह जनवरी, 2019 का खाद्यान्न एवं किरासन तेल उठाव किए बिना ही उपभोक्ताओं के राशन कार्ड पर जनवरी, 2019 के खाद्यान्न की प्रविष्टि करना, एक माह का खाद्यान्न/किरासन तेल उपभोक्ताओं को देकर कई माह का राशन कार्ड पर प्रविष्टि कर देना, उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले अनुदानित खाद्यान्न/किरासन तेल की मात्रा निर्धारित से कम एवं निर्धारित दर से अधिक राशि लिया जाना **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश–2016** में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाए जाने के आधार पर आवेदक की पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति सं0–41/2016 को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय, समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष आपूर्ति अपीलवाद सं0–10/19 दायर किया गया। उक्त अपीलवाद की विधिवत सुनवाई के पश्चात दिनांक 09.12.2019 को पारित आदेश में अपील आवेदन को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि माह जनवरी 2019 का खाद्यान्न एवं किरासन तेल उठाव किए बिना ही उपभोक्ताओं के राशन कार्ड पर जनवरी, 2019 के खाद्यान्न की प्रविष्टि करना, एक माह का खाद्यान्न उपभोक्ताओं को देकर कई माह का राशन कार्ड पर प्रविष्टि कर देना, उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले अनुदानित खाद्यान्न/किरासन तेल की मात्रा से कम एवं निर्धारित दर से अधिक राशि लिया जाना अनुज्ञप्ति के शर्तो के घोर उल्लंघन है। अपीलीय प्राधिकार के आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C. No. 2842/2020, दायर किया गया, जिसमें दिनांक 25.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि उनके द्वारा पी0डी0एस0 केन्द्र के संचालन में कभी भी अनुज्ञप्ति के शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया है। परंतु अनुज्ञापन पदाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकार द्वारा उनके स्पष्टीकरण पर समुचित विचार किए बिना ही उनकी पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बरौली एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिघवलिया के प्रतिवेदन के आधार पर उनकी पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है जिसमें कतिपय उपभोक्ताओं द्वारा उनके विरूद्ध राशन/किरासन के वितरण में अनियमितता बरते जाने के आरोप को आधार बनाया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित शिकायतकर्ता सुभालती देवी, राज कुमारी देवी, चंदा देवी एवं कुंती देवी आवेदक के पी0डी0एस0 केन्द्र से सम्बद्ध उपभोक्ता नहीं है जिसका उल्लेख उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में भी किया गया था, परंतु निम्न न्यायालय द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया है। इस क्रम में विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि उनके कतिपय उपभोक्ता यथा रंजू देवी, कुमारी

Scanned with CamScanner

देवी, पिंकी देवी, मीना देवी एवं अन्य द्वारा आवेदक के पक्ष में शपथ–पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया गया है कि उन्हें राशन/किरासन नियमित रूप से उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। एक अन्य आरोप कि विक्रेता द्वारा सभी लाभुकों को कैशमेमों नहीं दिया जाता है के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कुछ उपभोक्ता को कैशमेमो देना एवं कुछ को नहीं देना कही से भी विश्वसनीय नहीं है। कैशमेमों सभी उपभोक्ताओं को निर्गत किया जाता है। कुछ उपभोक्ता कैशमेमों को महत्व नहीं देते है और लेकर फेंक या फाड़ देते है उसमें आवेदक का कोई दोष नहीं है। परंतु स्पष्टीकरण में उल्लेखित उक्त तथ्यों एवं उपभोक्ताओं द्वारा आवेदक के पक्ष में प्रस्तुत शपथ–पत्र पर निम्न न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया तथा उनके पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति को अनुचित तरीके से रद्द कर दिया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि एक समान मामलें, नागेन्द्र राम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में अपीलीय प्राधिकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया है परन्तु आवेदक के आवेदन पर समुचित विचार नहीं किया गया है।

उक्त के आधार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वाद के संबंध में बताया गया कि आवेदक के जन वितरण प्रणाली केन्द्र की जाँच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बरौली, एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिधवलिया द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 24.01.2019 को की गयी। निरीक्षण के क्रम में कुल 10 उपभोक्ताओं का मंतव्य निरीक्षण प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया है, जिससे प्रतिवेदित है कि विक्रेता द्वारा एक माह का अनाज देकर कई माह का प्रवृष्टि राशन कार्ड पर किया जाता है, निर्धारित से अधिक राशि लेकर निर्धारित से कम अनाज दिया जाता है तथा विक्रेता द्वारा सभी लाभुकों को कैशमेमों नहीं दिया जाता है। उक्त आरोपों के संबंध में आवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाए जाने के कारण उनके पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति सं0–41/2016 को रद्द कर दिया गया है।

6. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आगे बताया गया कि निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रपत्र के साथ जिन 10 उपभोक्ताओं का मंतव्य संलग्न किया गया है, उनके से क्र0 सं0–2, सुमालती देवी, क्र0सं0–07 राजकुमारी देवी, क्र0सं0–08, चंदा देवी, क्र0 सं0–09, कौशल्या देवी एवं क्र0 सं0–10, कुन्ती देवी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वे आवेदक छोटे लाल साह से सम्बद्ध उपभोक्ता नहीं है और न ही कभी उनके दुकान से उठाव करती है। इसके साथ ही क्र0 सं0–1, रंजु देवी क्र0–03, कुमारी देवी, क्र0सं0–04, पिंकी देवी, क्र0सं0–05, रामावती देवी एवं क्र0 सं0–06, मीना देवी द्वारा स्वीकार किया गया है कि वे ग्राम

Scanned with CamScanner

पंचायत राज सिरसा मानपुर के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता छोटेलाल साह की दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ता है तथा उन्हें प्रत्येक माह सही मात्रा में एवं सही मूल्य पर राशन एवं किरासन का वितरण किया जाता है। विक्रेता द्वारा कभी भी कम मात्रा में खाद्यान्न, अधिक मूल्य पर नहीं दिया जाता है। उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि जनवरी 2019 का खाद्यान्न आवंटन प्राप्त होने के दिन ही उठा लेने की नियत से अपने कार्ड पर स्वतः खाद्यान्न एवं मूल्य चढ़वा लिए थे दुकानदार द्वारा कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी।

7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालीय आदेश का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालीय आदेश के अवलोकन में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते है:-

(i) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बरौली एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिधवलिया द्वारा आवेदक के जन वितरण प्रणाली केन्द्र की जॉंच दिनांक 24.01.2019 को पूर्वा0 10.45 में की गयी है।

(ii) निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ निरीक्षण के समय 10 उपभोक्ताओं से प्राप्त मंतव्य संलग्न किया गया है, जिसका विवरण निम्न है:-

क्र0 सं0	उपभोक्ता का नाम	कार्ड सं0	अभियुक्ति/संक्षेप में उपभोक्ता की अभियुक्ति
1	रंजू देवी	28210025	प्रत्येक माह अनाज तथा किरासन तेल नहीं मिलता है। एक माह का अनाज एवं किरासन तेल देकर विक्रेता द्वारा सभी माह की प्रविष्टि राशन कार्ड पर अंकित कर दी जाती है। निर्धारित मात्रा से कम अनाज दिया जाता है तथा अधिक राशि ली जाती है। माह जनवरी 19 तक की प्रविष्टि राशन कार्ड पर अंकित कर दी गयी है, जबकि अनाज नहीं मिला है।
2	सुमालती देवी	28210027	
3	कुमारी देवी	28210024	
4	पिंकी देवी	28210023	
5	रामावती देवी	28210033	
6	मीना देवी	28210031	
7	राज कुमारी देवी	28210007	
8	चांदा देवी	28210020	
9	कौशल्या देवी	28210016	
10	कुन्ती देवी	28210010	

(iii) आवेदक द्वारा दिनांक 08.02.2019 को अपने स्पष्टीकरण के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित उपभोक्ता/व्यक्तियों का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्न है:–

क्र0 सं0	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ता का कथन
1	रंजू देवी	प्रत्येक माह राशन/किरासन का वितरण किया जाता है। कभी भी विक्रेता कम मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल नहीं देते है तथा न कभी अधिक मूल्य लेते है। जनवरी, 2019 का खाद्यान्न आवंटन प्राप्त होने के दिन ही उठा लेने की नियत से अपने कार्ड पर स्वतः खाद्यान्न एवं मूल्य चढ़वा लिए थे, दुकानदार वो उस पर कोई प्रविष्टि नहीं की थी।
2	सुमालती देवी	**मैं छोटेलाल साह से सम्बद्ध उपभोक्ता नहीं हूँ और न कभी उनके दुकान से उठाव करती हूँ।**
3	कुमारी देवी	प्रत्येक माह राशन एवं किरासन सही मात्रा में मिलता है। कभी भी विक्रेता कम मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल नहीं देते है तथा न कभी अधिक मूल्य लेते है। जनवरी, 2019 का खाद्यान्न आवंटन प्राप्त होने के दिन ही उठा लेने की नियत से अपने कार्ड पर स्वतः खाद्यान्न एवं मूल्य चढ़वा लिए थे, दुकानदार वो उस पर कोई प्रविष्टि नहीं की थी।
4	पिंकी देवी	प्रत्येक माह राशन/किरासन का वितरण किया जाता है। कभी भी विक्रेता कम मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल नहीं देते है तथा न कभी अधिक मूल्य लेते है। जनवरी, 2019 का खाद्यान्न आवंटन प्राप्त होने के दिन ही उठा लेने की नियत से अपने कार्ड पर स्वतः खाद्यान्न एवं मूल्य चढ़वा लिए थे, दुकानदार वो उस पर कोई प्रविष्टि नहीं की थी।
5	रामावती देवी	प्रत्येक माह राशन/किरासन का वितरण किया जाता है। कभी भी विक्रेता कम मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल नहीं देते है तथा न कभी अधिक मूल्य लेते है। जनवरी, 2019 का खाद्यान्न आवंटन प्राप्त होने के दिन ही उठा लेने की नियत से अपने कार्ड पर स्वतः खाद्यान्न एवं मूल्य चढ़वा लिए थे, दुकानदार वो उस पर कोई प्रविष्टि नहीं की थी।
6	मीना देवी	प्रत्येक माह राशन/किरासन का वितरण किया जाता है। कभी भी विक्रेता कम मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल नहीं देते है तथा न कभी अधिक मूल्य लेते है। जनवरी, 2019 का खाद्यान्न आवंटन प्राप्त होने के दिन ही उठा लेने की नियत से अपने कार्ड पर स्वतः खाद्यान्न एवं मूल्य चढ़वा लिए थे, दुकानदार वो उस पर कोई प्रविष्टि नहीं की थी।
7	राज कुमारी देवी	**मैं छोटेलाल साह से सम्बद्ध उपभोक्ता नहीं हूँ और न कभी उनके दुकान से**

Scanned with CamScanner

		उठाव करती हूँ।
8	चांदा देवी	**मैं छोटेलाल साह से सम्बद्ध उपभोक्ता नहीं हूँ और न कभी उनके दुकान से उठाव करती हूँ।**
9	कौशल्या देवी	प्रत्येक माह राशन/किरासन का वितरण दिया जाता है। कभी भी विक्रेता कम मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल नहीं देते है तथा न कभी अधिक मूल्य लते है। जनवरी, 2019 का खाद्यान्न आवंटन प्राप्त होने के दिन ही उठा लेने की नियत से अपने कार्ड पर स्वतः खाद्यान्न एवं मूल्य चढ़वा लिए थे, दुकानदार वो उस पर कोई प्रविष्टि नहीं की थी।
10	कुन्ती देवी	**मैं छोटेलाल साह से सम्बद्ध उपभोक्ता नहीं हूँ और न कभी उनके दुकान से उठाव करती हूँ।**

अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा अपने निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि *"विक्रेता द्वारा शिकायतकर्ता के नाम से शपथ-पत्र बनवा कर स्वयं ही निशान/हस्ताक्षर कर दिया गया है"*। आवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत कतिपय उपभोक्ताओं यथा रंजू देवी, कुमारी देवी, पिंकी देवी, रामावती देवी, मीना देवी एवं कौशल्या देवी के शपथ-पत्र में समान रूप से एक ही तथ्य कि, *"जनवरी, 2019 का खाद्यान्न आवंटन प्राप्त होने के दिन ही उठा लेने की नियत से अपने कार्ड पर स्वतः खाद्यान्न एवं मूल्य चढ़वा लिए थे, दुकानदार वो उसपर कोई प्रविष्टि नहीं की थी।"* अंकित पाए जाने से उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है। राशन कार्ड पर किसी प्रकार की प्रविष्टि किया जाना पी0डी0एस0 दुकानदार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उक्त उपभोक्ताओं द्वारा राशन कार्ड पर स्वयं प्रविष्टि करने का उल्लेख किया जाना विश्वसनीय नहीं है। जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि आवेदक द्वारा अपने पक्ष में फर्जीवाड़ा करते हुए स्वयं शपथ-पत्र तैयार किया गया है। इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में भी आवेदक द्वारा ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि उनका दावा विश्वसनीय माना जा सके।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति के आलोक में आपूर्ति अपीलवाद सं0-10/2019 में अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक 09.12.2019 को पारित आदेश को त्रुटिरहित पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with CamScanner